राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 8(1)विधि–2/विरस (115)/2022/ 49 जयपुर दिनांक: 08/02/2022

प्रेषितः–

1. **समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय,**
   राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2. **समस्त गवर्नमेंट कॉसिंल/एडिशनल गवर्नमेंट कॉसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कॉसिल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर।**
3. **समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जिला न्यायालय/ अतिरिक्त जिला न्यायालय।**

विषयः– दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत।

संदर्भः– राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्र एफ04(197)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–I/2022 /1500–1503 दिनांक 31.01.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रा.ल.सा के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) में ऑफ लाईन व ऑन लाईन के माध्यम से प्री–लिटिगेशन एवं लम्बित मामलों के लिये आयोजित की जा रही है, जो निम्नानुसार है:–

<u>प्री–लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases):–</u>

- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- भरण–पोषण से संबंधित प्रकरण।
- राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित।
- सिविल विवाद
- सर्विस मेटर्स
- उपभोक्ता विवाद
- अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/ॲथोरिटी/आयुक्त/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं)।

<u>न्यायालय में लंबित प्रकरण (Case pending in Court)।</u>

- राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण
- धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण।
- धन वसूली के प्रकरण।
- एम.ए.सी.टी. के प्रकरण।
- श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण।
- बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा)।
- पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण
- सभी प्रकार के सर्विस मेटर्स(पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा)

- सभी प्रकरण के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित
- वाणिज्यिक विवाद
- बैंक के विवाद
- गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद
- सहकारीता सम्बन्धी विवाद
- परिवहन सम्बन्धि विवाद
- स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि) के विवाद
- रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद
- रेलवे क्लेम सम्बन्धी विवाद
- आयकर सम्बन्धी विवाद
- अन्य कर सम्बन्धी विवाद
- उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य विवाद
- सिविल मामले (किरायेदारी, बॅटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे) आदि।
- अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/ॲथोरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं।

आदि विषयों पर आयोजित की जावेंगी।

आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 12.03.22 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सकिय रूप से भाग लें। आप राज्य सरकार की ओर से जिन प्रकरणों में पैरवी कर रहे हैं उनमें से ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करें, जो राजीनामें योग्य हैं तथा उनका राजीनामें के माध्यम से निस्तारण का उचित प्रयास करें। ज्ञातव्य रहे कि इस संबंध में संबंधित विभागों को यह सूचित कर दिया गया है कि वे राजीनामें योग्य प्रकरणों को चिन्हित करेंगे तथा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखवायेंगे। विभाग को यह भी सूचित किया गया है कि वे विभाग की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो राजीनामें हेतु स्वीकृति देने में सक्षम हो।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये संबंधित न्यायालयों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये अपना प्रभावी सहयोग प्रदान कर अधिक से अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आप द्वारा चिन्हित किये गये प्रकरणों की सूची **10 दिवस** के भीतर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें, जिससे कि चिन्हित प्रकरणों की सूचना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की जा सके।

ह०/-

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव,वि.र.स.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र कमांक एफ04(197)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–I/2022 /1500–1503 दिनांक 31.01.2022 के कम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।

उ० प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6/2/2022

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव,वि.र.स.